रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-32

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 1984/भाद्र 6, 1906
No. 339] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 1984/BHADRA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1984

सा.का.नि. 628(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पराद्वीप पत्तन के न्यासी मंडल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के निदेशक (यांत्रिक) के बदले नौवहन और परिवहन मंत्रालय के विकास सलाहकार, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष)

की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 235(अ), दिनांक 29 मार्च, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 9 के सामने "निदेशक (यांत्रिक) नौवहन और परिवहन मंत्रालय" के बदले "विकास सलाहकार, जहाजनिर्माण और जहाज मरम्मत, नौवहन और परिवहन मंत्रालय" रखे जायेंगे ।

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू./पी. टी. बी.-27/83]

पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1984

G.S.R. 628(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Development Adviser, Shipbuilding and Ship Repairs, Ministry of Shipping of Transport as a Trustee to represent the Ministry of Shipping an Transport, on the Board of Trustees of the Port of Paradip vice the Director (Mechanical), Ministry of Shipping and Transport and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. GSR 235(E), dated 29 March, 1984, namely:—

In the said notification, against Serial Number 9, for the entry "Director (Mechanical), Ministry of Shipping and Transport" the entry "Development Adviser, Shipbuilding and Ship Repairs, Ministry of Shipping and Transport", shall be substituted.

[F. No. PW|PTB-27|83]

P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984